निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मिसल न0 22 / अपील 14(4) / 20 तारीख दायरा: 02.07.2020

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार असनावर (अपीलान्ट)

बनाम

01. अली मोहम्मद पुत्र अहमद जाति पिंजारा नि0 धानोदा तहसील असनावर
02. मेराजबी पत्नी अली मोहम्मद पिंजारा नि0 धानोदा तहसील असनावर (रेस्पो0)

अपील कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्तीकरण बाबत।

उपस्थित:- पेरोकार सरकार

-: निर्णय :- दिनांक: 03.09.2020

यह प्रकरण तहसीलदार असनावर द्वारा राज0भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू-आंवटन नियम) 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण के अपील मेंमों में निवेदन किया गया है कि ग्राम धानोदा की आराजी ख0न0 367 रकबा 0.1391 है0 भूमि का आंवटन रेस्पोडेन्ट्स को दिनांक 27.12.2010 को हुआ था जो नामान्तकरण संख्या 637 से गैर खातेदारी दर्ज हुई । आंवटित आराजी पर आंवटी या उसके वारिसान द्वारा शर्तो के अनुसार काश्त नही की जा रही है न ही मौके पर कब्जा है। आवंटी या वारिसान द्वारा काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों का उलघंन किया है। आवंटन की शर्त 14(4) एवं 8 अ की पालना नही करने से आवंटन खारिज योग्य है। अप्रार्थी द्वारा आवंटन की शर्तो की पालना नही करने से अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

तहसीलदार असनावर द्वारा अपने प्रा0पत्र की पुष्ठी में आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति, मौका रिपोर्ट दिनांक 21.11.2019, नामान्तरकण संख्या 637 की प्रमाणित प्रति,जमाबन्दी सं0 2072-75 खसरा गिरदावरी सं0 2068-71, प्रस्तुत की गई।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया। दौराने सुनवाई रेस्पो0 के उपस्थित नही होने पर उनका पक्ष नही सुना जा सका।

हमने बहस उभय पक्ष सुनी। पेरोकार सरकार द्वारा दोराने बहस व्यक्त किया कि आवंटी को ग्राम धानोदा की आराजी खसरा न0 367 रकबा 0.1391 भूमि का आंवटन दिनांक 27.12.2010 को हुआ था जो नामान्तकरण संख्या 637 से गैर खातेदारी दर्ज हुई । आंवटित आराजी आंवटी या उसके वारिसान द्वारा शर्तो के अनुसार काश्त नही की जा रही है न ही मौके पर कब्जा है। आवंटी या वारिसान द्वारा काश्तकारी अधिनियम के उपबन्धों का उलघंन किया है। आवंटन की शर्त 14(4) एवं 8 अ की पालना नही करने से आवंटन खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया व बहस पेरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट हे कि आंवटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन के पश्चात प्रथम तीन वर्ष में काश्त नही की गई और ना ही वर्तमान में काश्त की जा रही है जो कि अत्यन्त आवश्यक है। आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन की शर्तो की पालना नही किये जाने से ही भूमि आज दिनांक तक गेर खातेदारी में ही दर्ज है । उपरोक्तानुसार तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत अपील कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) बाबत आवंटन निरस्तीकरण स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार असनावर द्वारा प्रस्तुत अपील 14(4) स्वीकार किया जाकर ग्राम धानोदा की आराजी ख0न0 367 रकबा 0.1391 है0 भूमि का आंवटन जो दिनांक 27.12.2010 को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटी को किया गया था उक्त आवंटन खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार असनावर को भिजवाई जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि अपने कब्जे में लेकर खाता सरकार दर्ज की जावे। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ लोटाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तमील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़

जिला कलक्टर
झालावाड़